न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4345–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2012 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी,कोलारस जिला शिवपुरी – प्रकरण कमांक 58/2009–10 अपील

सवल सिंह पुत्र रतन सिंह
निवासी ग्राम रामगढ़
तहसील बदरवास जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

1– अलमा पुत्र सिमरू जाटव
ग्राम रामगढ़ तहसील बदरवास
2– महिला कपूरी पुत्री सिमरू पत्नि
कटारिया ग्राम एजवारा तहसील बदरवास
3– दानवीर सिंह पुत्र पर्वत सिंह
ग्राम खतौरा तहसील बदरवास
4– महिला शीलावाई पत्नि त्रिलोक सिंह
ग्राम रामगढ़ तहसील बदरवास
5– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी
6– उपखंड अधिकारी, कोलारस
7– तहसीलदार कोलारस
8– राजस्व निरीक्षक वृत्त रन्नौद तहसील बदरवास ----अनावेदकगण

(श्री पी0के0तिवारी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक – अनावेदक क–2)
(श्री एस0पी0धाकड़ अभिभाषक – अनावेदक क–3)
(पैनल अभिभाषक – अनावेदक क–5 से 8)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षी)

आ दे श
(दिनांक 28 जनवरी 2016)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस व्दारा प्रकरण कमांक 58/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–10–12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण कमांक 25/1998-99 अ 5 में पारित आदेश दिनांक 22-5-1999 से अनावेदकण के खाते की भूमि सर्वे कमांक 1124 रकबा 2.26 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 1126 रकबा 0.50 हैक्टर के बंदोवस्त के दौरान बनाये गये नये सर्वे नंबर 1866, 1870, 1872, 1874, 1875 का रकबा 0.58 कम कर दिये जाने से आवेदक के खाते की भूमि सर्वे नंबर 1859 में से रकबा 0.20 हैक्टर, सर्वे कमांक 1868 में से रकबा 0.20 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 1873 के रकबे में 0.10 हैक्टर में से दिये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस के समक्ष दिनांक 09-10-2010 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस ने प्रकरण कमांक 58/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-10-12 से अपील समयवाह्य होना मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन कमांक 9066/2012 प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय व्दारा इस रिट पिटीशन का निराकरण आदेश दिनांक 17-12-2012 से इस प्रकार किया है :-

" It is made clear that if petitioner prefers appeal/revision within 10 days from today, impediment of delay will not come in his way and the competent authority will deal with the said appeal/revision in accordance with law on meriet."

इसी कम में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने। आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के प्रकरण कमांक 58/2009-10 अपील का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह निर्विवाद है कि तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण कमांक 25/1998-99 अ 5 में पारित आदेश दिनांक 22-5-1999 से आवेदक के खाते की भूमि सर्वे नंबर 1859 में से रकबा 0.20 हैक्टर, सर्वे कमांक 1868 में से रकबा 0.20 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 1873 के रकबे में 0.10 हैक्टर अनावेदकगण को दिये जाने के आदेश दिये हैं एंव तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण ने आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया है । आवेदक के अभिभाषक के अनुसार तहसीलदार ने किसी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना आवेदक को नहीं दी है। प्रकरण में यह देखना है कि तहसीलदार कोलारस के आदेश दिनांक 22-5-99 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष दिनांक 9-10-2010 को अर्थात 10 वर्ष से अधिक समय वाद अपील प्रस्तुत की है एंव तहसीलदार कोलारस ने आदेश दिनांक 22-5-99 से बंदोवस्त के समय हुई लेखन सम्बन्धी त्रृटि को सुधारने का आदेश दिया है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 47 के अंतर्गत यद्यपि अपील प्रस्तुत करने लिये अवधि (परिसीमा) निर्धारित की है परन्तु जहॉ आदेश एकपक्षीय अवैध एंव अधिकारिता-रहित है वहां परिसीमा का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं रहता है। ऐसे मामलों में प्रकरण का निराकरण गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिये।

अनावेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया है एंव तहसीलदार ने अनावेदक को सूचना दिये बिना उसके खाते से भूमि कम करके अनावेदकगण को प्रदान की है। आवेदक पीढ़ित पक्षकार है क्योंकि उसके विरूद्ध तहसीलदार ने _____.

पक्षकार बनाये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसके कारण आवेदक पर परिसीमा बंधनकारी नहीं है।

5/ माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17-12-12 से विधि अनुसार मेरिट पर निर्णय करने के निर्देश दिए हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 30-10-02 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी अपील में उभय पक्षों को सुनवाई तथा आवश्यकतानुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर प्रकरण में गुणदोषों के आधार पर आदेश पारित करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर